पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का आपराधिक आवेदन/अपील (डी. बी.) संख्या 885

वर्ष 1986 के थाना कांड संख्या 78 से उत्पन्न, थाना-वैशाली, जी.आर.पी. मामला, जिला-वैशाली

==========

राम बाबू सिंह स्वर्गीय बसावन सिंह के पुत्र गांव रतन, पी. एस./थाना भगवानपुर, जिला वैशाली के निवासी हैं।

अपीलकर्तागण:

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थीगण

==========

2014 का आपराधिक आवेदन/के साथ अपील (डी. बी.) सं. 886

वर्ष 1986 को थाना कांड संख्या 78 से उत्पन्न, थाना-वैशाली जीआरपी मामला जिला-वैशाली

==========

1. रंजीत चौधरी उर्फ रंजीत चौधरी श्री शिवनाथ चौधरी उर्फ लाला चौधरी के पुत्र

2. उदय कुमार सिंह उर्फ उदय सिंह स्वर्गीय बिंदेश्वरी सिंह के पुत्र 3.संजय कुमार सिंह उर्फ संजय सिंह स्वर्गीय कपिलदेव सिंह के पुत्र

4. सच्चिदानंद सिंह स्वर्गीय चंद्रिका सिंह उर्फ चंद्रिका प्रसाद सिंह के पुत्र सभी गांव-रतनपुरा, पी.एस./थाना एस.-भगवानपुर, जिला-वैशाली के निवासी हैं।

.....अपीलकर्तागण:

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

के साथ

वर्ष 2015 का आपराधिक आवेदन/अपील (डी. बी.) सं. 24

वर्ष 1986 के थाना कांड संख्या 78 से उत्पन्न थाना-वैशाली जीआरपी मामला जिला

1. कामेश्वर सिंह-योगेश्वरी सिंह के पुत्र

2. सुनील कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह के पुत्र दोनों गांव-रतनपुरा, थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली के निवासी हैं।

अपीलकर्तागण:

बनाम

बिहार राज्य

उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302 और 149 - उच्च न्यायालय के खंड पीठ ने मामले को बहुत निर्दिष्ट उद्देश्य के लिये निचली अदालत में पुनः निर्णय के लिये वापस भेजा। --- निचली अदालत ने कुछ चीजों को उपधारित कर लिया। -- और उच्च न्यायालय के विर्निष्ट आदेश के बावजूद, प्राथमिकी को रिकार्ड पर नहीं लाया गया। --- अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया, लेकिन अभियोजन ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के तीन प्रतियां तैयार की गयी, दो कार्बन कॉपी तथा एक फोटो कॉपी - पी.डब्लू. 16 ने स्वीकार किया कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की दोनों कार्बन कॉपी में विसंगतिया है। अभियोजन ने पोस्ट मार्टम(अंतपरीक्षम) रिपोर्ट को साबित करने में विफल रहा। - अभियोजन मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। दोषसिद्धि को आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों से बरी कर दिया गया है।

[पारा 20, 21, 23, 24 और 25]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का आपराधिक आवेदन/अपील (डी. बी.) संख्या 885

वर्ष 1986 के थाना कांड संख्या 78 से उत्पन्न, थाना-वैशाली, जी.आर.पी. मामला, जिला-वैशाली

==========

राम बाबू सिंह स्वर्गीय बसावन सिंह के पुत्र गांव रतन, पी. एस./थाना भगवानपुर, जिला वैशाली के निवासी हैं।

अपीलकर्तागण:

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थीगण

==========

2014 का आपराधिक आवेदन/के साथ अपील (डी. बी.) सं. 886

वर्ष 1986 को थाना कांड संख्या 78 से उत्पन्न, थाना-वैशाली जीआरपी मामला जिला-वैशाली

==========

1. रंजीत चौधरी उर्फ रंजीत चौधरी श्री शिवनाथ चौधरी उर्फ लाला चौधरी के पुत्र

2. उदय कुमार सिंह उर्फ उदय सिंह स्वर्गीय बिंदेश्वरी सिंह के पुत्र 3.संजय कुमार सिंह उर्फ संजय सिंह स्वर्गीय कपिलदेव सिंह के पुत्र

4. सच्चिदानंद सिंह स्वर्गीय चंद्रिका सिंह उर्फ चंद्रिका प्रसाद सिंह के पुत्र सभी गांव-रतनपुरा, पी.एस./थाना एस.-भगवानपुर, जिला-वैशाली के निवासी हैं।

.....अपीलकर्तागण:

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

के साथ

वर्ष 2015 का आपराधिक आवेदन/अपील (डी. बी.) सं. 24

वर्ष 1986 के थाना कांड संख्या 78 से उत्पन्न थाना-वैशाली जीआरपी मामला जिला

1. कामेश्वर सिंह-योगेश्वरी सिंह के पुत्र

2. सुनील कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह के पुत्र दोनों गांव-रतनपुरा, थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली के निवासी हैं।

अपीलकर्तागण:

बनाम

बिहार राज्य

उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==

उपस्थिति

(2014 के आपराधिक आवेदन/अपील (डी. बी.) संख्या 885 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री अमित कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

(2014 के आपराधिक आवेदन/अपील (डी. बी.) संख्या 886 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री अजय ठाकुर, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

(2015 की आपराधिक याचिका/अपील (डी. बी.) संख्या 24 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

= =

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा

(निर्णयः माननीय श्री मौखिक निर्णय न्यायमूर्ति री विपुल एम. पंचोली)

तिथि: 08-01-2024

सभी मौजूदा अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (इसके बाद सी.आर.पी.सी.(रुप मे संदर्भित))की धारा 374(2) के तहत दोससिद्धि के फैसले दिनांक 01.11.2014 और सजा के आदेश दिनांक 07.11.2014 के खिलाफ दायर की गई है । विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1987 के सत्र परीक्षण संख्या 242 में हाजीपुर मे वैशाली, मुजफ्फरपुर रेल थाना कांड से उत्पन्न हआ।1986 का मामला संख्या 78, जिसके द्वारा अपीलकर्तओं/दोषियो, उदय सिंह, रंजीत चौधरी, सच्चिदानंद सिंह, सुनील कुमार सिंह, संजय सिंह और राम बाबू सिंह को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास और जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई । आई.पी.सी. की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 आई.पी.सी. के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 25,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है । वह राशि मृतक नवल किशोर चौधरी के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय होगी ।

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है: -

2.1. 09.10.1986 को, लगभग 07:00 प्रधानमंत्री, मुखबिर, शत्रुघ्न चौधरी (पीडब्लू-8), अपने छोटे भाई, परमानंद चौधरी (पीडब्लू-7), बड़े भाई, नवल किशोर चौधरी, शिव नाथ सिंह, बृज नंदन चौधरी, बलराम चौधरी (पीडब्लू-2), नंदा चौधरी (पीडब्लू-4) के साथ।) भगवानपुर बेलहट्टा में मेला देखने के बाद अपने-अपने घरों को लौटते हुए और भगवानपुर स्टेशन के दक्षिण गली नंबर 33 से एक फरलाँग की दूरी पर, उन्होंने अपने

सह-ग्रामीणों, कामेश्वर उर्फ भोला सिंह, सुनील सिंह, राम बाबू सिंह, राम सूरत चौधरी, रंजीत चौधरी, सच्चिदानंद सिंह, उदय सिंह, संजय सिंह को देखा, जो सभी देसी पिस्तौल से लैस थे, चूड़ा (खंजर) के साथ बसवन सिंह, छोटे डंडे के साथ उमाशंकर सिंह, कपिलदेव सिंह और लाठी से लैस सुरेंद्र सिंह, अरुण मुखर्जी के घर के पास और शत्रुघ्न चौधरी और उनके साथियों को देखकर आरोपी उमाशंकर सिंह को देखा।आरोपी उमाशंकर सिंह द्वारा दिए गए उकसावे के बाद, आरोपी कामेश्वर सिंह उर्फ भोला सिंह ने नवल किशोर सिंह पर गोली चलाई और गोली दाहिने कान में लगी।

नवल किशोर सिंह और आरोपी सुनील सिंह ने भी गोली चलाई और गोली नवल किशोर सिंह के बाएं कान के ठीक ऊपर लगी।गोली लगने पर नवल किशोर सिंह दर्द से चिल्लाया। इसके बाद, आरोपी राम बाबू सिंह ने अपनी पिस्तौल से नवल किशोर सिंह की बाईं कमर पर गोली मार दी और आरोपी राम सूरत चौधरी ने गोली चला दी, जबकि दूसरों को नवल किशोर चौधरी को मारने के लिए उकसाते हुए, गोली नवल किशोर चौधरी के बाएं कमर पर लगी।आरोपी रंजीत चौधरी द्वारा चलाई गई गोली नवल किशोर चौधरी की दाहिनी जांघ में लगी।आरोपी उदय सिंह, सच्चिदानंद सिंह और संजय सिंह ने भी नवल किशोर चौधरी पर गोली चलाई, जबकि आरोपी बसवन सिंह ने नवल किशोर चौधरी की कमर के नीचे नवल किशोर सिंह पर अपनी खंजर से हमला किया और फिर आरोपी व्यक्ति भाग गया।

2.2. पीडब्लू-8 के अनुसार, घटना के पीछे का कारण आरोपी-अपीलार्थी कामेश्वर सिंह और अन्य लोगों के साथ पुरानी जमीनी दुश्मनी है।

2.3. घटना की सूचना मिलने पर भगवानपुर पुलिस स्टेशन से पुलिस 10:30 पी.एम. 09.10.1986 को डॉ. जैसवाल के निजी क्लिनिक में पहुंची। इस घटना के बारे

में शत्रुघ्न चौधरी (पीडब्लू-8) द्वारा दी गई जानकारी को फरदबेयान के रूप में दर्ज किया। पीडब्लू-8 द्वारा मामले की दी गई जानकारी को दर्ज के लिए रेल पुलिस स्टेशन, मुजफ्फरपुर को भेज दिया गया था।

2.4.उक्त फरदबेयान को प्रथम सूचना रिपोर्ट मानते हुए, 1986 का मुज़फ़्फ़रपुर रेल पुलिस थाना मामला संख्या 78 भारतीय दंड संहिता की धारा 272,307/34 के तहत 12 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिनमें (i) कामेश्वर सिंह, (ii) सुनील कुमार सिंह, (iii) राम बाबू सिंह, (iv) राम सूरत चौधरी, (v) रंजीत चौधरी, (vi) उमाशंकर सिंह, (vii) सच्चिदानंद सिंह, (viii) कपिलदेव सिंह, (ix) संजय सिंह, (x) उदय सिंह, (xi) बसावन सिंह और (xii) सुरेंद्र सिंह शामिल हैं।

2.5. जाँच के दौरान, उक्त शव पर जाँच की गई, जिसका पोस्टमार्टम/शवपरीक्षण भी किया गया था, और जाँच पूरी होने पर, अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, अर्थात् (i) बसवन सिंह, (ii) कामेश्वर सिंह, (iii) सुनील कुमार सिंह, (iv) राम बाबू सिंह, (v) राम सूरत चौधरी, (vi) रंजीत चौधरी, (vii) सच्चिदानंद सिंह, (viii) संजय सिंह, (ix) उदय सिंह, भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149 302 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत।

2.6. मुकदमे में, जब भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत एक आरोप तैयार किया गया था। अभियुक्त-अपीलार्थी, अर्थात् (i) कामेश्वर सिंह, (ii) सुनील कुमार सिंह, (iii) राम बाबू सिंह, (iv) राम सूरत चौधरी, (v) रंजीत चौधरी, (vi) सच्चिदानंद सिंह, (vii) संजय सिंह, (viii) उदय सिंह, (ix) बसवन सिंह और (x) सुरेंद्र सिंह, अभियुक्त-अपीलार्थी ने इसमें दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। जब अभियुक्त-अपीलार्थी, अर्थात् (i) उमा शंकर सिंह, (ii) कपिलदेव सिंह और

(iii) सुरेंद्र सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 साथ पठित धारा 149 और 302 के तहत आरोप तय किए गए, तो उन्होंने भी इस तरह से बनाए गए आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।

2.7. मुकदमे के दौरान आरोपी राम सूरत चौधरी और बसवन चौधरी की मौत हो गई।

2.8. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने कुल 13 (तेरह) गवाहों से पूछताछ की।तब अभियुक्त व्यक्तियों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (1) (बी) के तहत पूछताछ की गई और उपरोक्त अपनी जाँचों में अभियुक्त व्यक्तियों ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अपराध किए थे, जो कथित रूप से उनके द्वारा किए गए थे, बचाव पक्ष का मामला इनकार का था।बचाव पक्ष ने दस गवाह पेश किए हैं।

2.9. इसके बाद, निचली अदालत ने दिनांक 13.01.2014 के आदेश के माध्यम से सभी अभियुक्तों को आई.पी.सी. धारा 149 के साा पठित धारा 302 भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित)। के तहत दोषी ठहराया हालांकि, निचली अदालत ने आरोपी उमा शंकर प्रसाद सिंह को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है।सजा का आदेश 18.01.2014 को पारित किया गया था। निचली अदालत द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा के उक्त आदेश के खिलाफ, दोषी/अपीलकर्ताओं ने 2014 की सी. आर. अपील (डी. बी.) की संख्या 102, संख्या 196 और संख्या 135।

2.10. इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने दिनांक 16.05.2014 के सी. ए. वी. के दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से उपरोक्त अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी और संबंधित निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द

कर दिया गया।साथ ही, इस न्यायालय की खंड पीठ ने गवाह के रूप में डॉक्टर और जांच अधिकारी की उपस्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से मामले को निचली अदालत में भेज दिया और कानून के अनुसार उनकी जांच करने और मामले को साक्ष्य के आलोक में फैसला करने का निर्देश दिया ।

2.11. मामला निचली अदालत में वापस भेजे जाने के बाद, अभियोजन पक्ष ने अतिरिक्त अभियोजन गवाहों यानी पीडब्लू 14 डॉ. विनीता कुमारी, पीडब्लू 15 अशोक कुमार और पीडब्लू 16 भुपेश कुमार सिंह से पूछताछ की थी।

2.12. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, निचली अदालत ने एक बार फिर दोषसिद्धि का आक्षेपित आदेश और दिनांक 01.11.2014 और 07.11.2014 का सजा का आदेश, जिसके तहत वर्तमान अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, जिसके खिलाफ अब वर्तमान अपीलार्थियों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थियों की ओर से श्री अजय ठाकुर और श्री राजेश कुमार और सभी अपीलों में प्रतिवादी-राज्य की ओर से श्री सुजीत कुमार सिंह की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमाकांत शर्मा को सुना गया।

4. अपीलार्थियों/दोषियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया है कि मुकदमे के पहले दौर में, जब अपीलार्थियों ने कथित दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार करते हुए विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश और सजा के आदेश को चुनौती दी थी, तो इस अदालत की खंड पीठ ने कुछ टिप्पणियां की हैं।अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा की गई उक्त टिप्पणी का उल्लेख किया है।

5. इस न्यायालय ने पैरा/कंडिका 50 में कहा है कि 1986 के भगवानपुर थाना मामले की एफ. आई. आर. की प्रति रिकॉर्ड/अभिलेख में नहीं लाई गई थी।इस अदालत ने आगे कहा है कि जांच अधिकारी ने पी. डब्ल्यू. 8 (शत्रुधन चौधरी) का बयान दर्ज किया था, जांच की थी और जाँच रिपोर्ट तैयार की।मृतक के शव पर लगी चोट का कोई विवरण नहीं है, जबकि जांच रिपोर्ट की दूसरी प्रति में पाई गई चोटों का उल्लेख किया गया है।इस प्रकार, इस न्यायालय की खंड पीठ ने गवाह के रूप में डॉक्टर और संबंधित जांच अधिकारी की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए मामले को विद्वान निचली अदालत में वापस भेजना उचित समझा।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष को इन गवाहों से पूछताछ करने का निर्देश भी दिया गया था और उसके बाद विद्वत निचली अदालत को कानून के अनुसार मामले का फैसला करना होता है।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि मामले को विशिष्ट उद्देश्य के लिए विदृत निचली अदालत में वापस भेजे जाने के बाद, अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू. 14 डॉ. विनीता कुमारी, जो मृतक की बेटी हैं, से पूछताछ की है।हालाँकि, उसने अपने पिता के हस्ताक्षर की पहचान नहीं की है और न ही उसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट/शवपरीक्षण प्रतिवेदन के बारे में कुछ पता था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 15 अशोक कुमार से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट/ शवपरीक्षण प्रतिवेदन को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई थी।हालाँकि, उक्त गवाह एक एक्स-रे तकनीशियन के रूप में काम कर रहा था और वह केवल डॉक्टर के हस्ताक्षर की पहचान कर सकता था और उसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट/ शवपरीक्षण प्रतिवेदन की सामग्री के बारे में पता नहीं था।

7. इसके बाद विद्वान वकीलों ने कहा कि पी. डब्ल्यू. 16 भुपेश कुमार सिंह भगवानपुर पुलिस स्टेशन में तैनात अधिकारी थे और उन्होंने कहा है कि शत्रुधन चौधरी

(मुखबिर) का फरदबेयान रामपुजन सिंह ने लिखा था।विद्वान वकीलों ने उपरोक्त बयान का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि वास्तव में, उपरोक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि जांच रिपोर्ट की दो कार्बन प्रतियों और एक फोटो प्रति में विसंगतियां हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच रिपोर्ट की कार्बन प्रतियों में भी सामग्री अलग-अलग होती है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अधिकारी भी 1986 के भगवानपुर थाना कांड संख्या के एफ. आई. आर. की एक प्रति प्रस्तुत प्रस्तुत में विफल रहे हैं।

8. विद्वान वकीलों का कहना था कि मामले को विद्वत निचली अदालत में भेजे जाने के बाद भी अभियोजन पक्ष ने भगवानपुर पुलिस थाने में दर्ज 1986 के भगवानपुर थाना मामला संख्या- 101 की उपरोक्त एफ. आई. आर. की प्रति रिकॉर्ड/अभिलेख पर नहीं लाई है।

8.1.इस स्तर पर, विद्वान वकीलों ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज तर्क का उल्लेख किया है और उसके बाद तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने कुछ अनुमान लगाए हैं जो अनुमेय नहीं हैं।निचली अदालत ने यह भी कहा है कि 1986 का भगवानपुर थाना मामला संख्या.101 वाला एफ. आई. आर. भी अभिलेख पर नही लाया गया, जिसके बावजूद विद्वत विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश दर्ज किया है।इसलिए विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दर्ज किया है और इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाए और दरकिनार कर दिया जाए।

9. दूसरी ओर, विद्वान ए. पी. पी./सहायक लोक अभियोजक ने अपीलार्थियों/दोषियों द्वारा दायर इन अपीलों का विरोध किया है।विद्वान ए. पी. पी. ने प्रस्तुत किया है कि

प्रश्नगत घटना के चश्मदीद गवाह हैं और केवल इसलिए कि भगवानपुर थाना केस 1986 की एफ. आई. आर. की प्रति रिकॉर्ड/अभिलेख में नहीं लाई गई है और केवल इसलिए कि जांच रिपोर्ट में कुछ विसंगतियां हैं, इसका लाभ अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता है।अतः विद्वान ए. पी. पी. ने आग्रह किया कि वर्तमान अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

10. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया है।यह रिकॉर्ड/ अभिलेख से सामने आएगा कि 09.10.1986 को लगभग 7:00 पी.एम. शाम को प्रश्नगत घटना हुई जिसके लिए मुखबिर शत्रुघ्न चौधरी द्वारा 8:00 पी.एम. राज्य औषधालय, भगवानपुर में 09.10.1986 को दोपहर एक *फरदवेयान* दिया गया था । उक्त जानकारी के आधार पर, 1986 का भगवानपुर थाना मामला संख्या 101 दर्ज कराया गया और मृतक की जांच रिपोर्ट भी तैयार की गई जिसमें 1986 के भगवानपुर थाना मामले का संदर्भ है।इसी तरह मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 1986 के भगवानपुर थाना केस संख्या 101 का संदर्भ था।हालाँकि, यह आगे पता चला है कि औपचारिक एफ. आई. आर. 11 बजे दिन में (ए.एम) 10.10.1986 को पंजीकृत हुआः00 ए. एम. अर्थात 1986 का मुज़फ़्फ़रपुर रेल थाना मामला संख्या 78। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की थी और उसके बाद विद्वत विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.01.2014 को पर दोषसिद्धि का आदेश पारित किया और दिनांक 18.01.2014 को सजा का आदेश पारित किया गया, जिसमें एक अभियुक्त उमा शंकर सिंह को छोड़कर सभी अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा-302 के साथ-साथ 149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। दोषसिद्धि के उक्त निर्णय और सजा के आदेश के खिलाफ,

अपीलकर्ताओं/दोषियों ने वर्ष 2014 का सी. आर. अपील (डी. बी.) का संख्या 102 और संबद्ध अपीलें की प्राथमिकता दी गई। इस न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 16.05.2014 के अपने फैसले के माध्यम से उक्त अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मामले को विशिष्ट उद्देश्य के लिए परीक्षण न्यायालय में वापस भेज दिया गया, अर्थात गवाह के रूप में डॉक्टर और संबंधित जांच अधिकारी की उपस्थिति प्राप्त करने और कानून के अनुसार उनकी जांच करने और उसके बाद कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने

11. इस न्यायालय की खंड पीठ ने पैरा कंडिका संख्या 11 से 16 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> "11. वर्तमान अपीलों पर विचार करते समय, जो बात सबसे प्रमुख रूप से ध्यान आकर्षित करती है, वह यह है कि डॉक्टर, जिन्होंने उक्त मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था और उनकी मृत्यु का कारण निर्धारित किया था, की जांच नहीं की गई थी और न ही जांच अधिकारी की जांच की गई थी।
>
> 12. पोस्टमॉर्टम जाँच रिपोर्ट/शवपरीक्षण जाँच प्रतिवेदन के अनुसार, मृत्यु आग्नेयास्त्र की चोट के कारण हुई है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है।"1/2 "व्यास की छिद्रित गोलाकार चोट, उल्टे किनारे के साथ, खोपड़ी की हड्डी में प्रवेश करते हुए 1/2" व्यास का छेद करती है, जो खोपड़ी की हड्डी के फ्रैक्चर से जुड़े छोटे टुकड़े में पूरे मस्तिष्क की दीवारों को पार करती है और फिर से ओसीपीटल हड्डी के बाईं ओर को नुकसान पहुंचाती है जिसमें 1/4 "का गोलाकार छेद होता है जो घाव से जुड़ा होता है जो गर्दन के पीछे और बाएं कान के पीछे त्वचा पर होता है।यह दाहिनी पार्श्विका हड्डी पर प्रवेश का घाव और बाएं कान के पीछे पश्चिका हड्डी पर निकास का घाव होने वाली अग्नि भुजा की चोट है।गोली खोपड़ी की हड्डियों और मस्तिष्क पदार्थ को नुकसान पहुँचाते हुए खोपड़ी से गुजरी है।
>
> 13. चूंकि बचाव पक्ष ने हत्या के तथ्य पर विवाद नहीं किया है, इसलिए अब हम इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या घटना का समय, घटना का स्थान और घटना

का तरीका, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है, सभी उचित संदेह से परे साबित हुआ है।

14. वर्तमान अपीलों के उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए, हम यह इंगित कर सकते हैं कि मुखबिर (पीडब्लू 8) ने बयान दिया है कि परमानंद चौधरी (पीडब्लू 7) उनके साथ थे, जब वे उक्त मृतक के साथ 09.10.1986 की शाम का भागलपुर बेलहट्टा मे मेला देखने इस गवाह के अनुसार, सभी आरोपी व्यक्तियों ने अभियोजन पक्ष को शाम करीब 7 बजे पकड़ लिया जब वे मेले से लौट रहे थे और आरोपी उमाशंकर सिंह के उकसावे पर आरोपी कामेश्वर सिंह उर्फ भोला सिंह ने मृतक नवल किशोर चौधरी के सिर के दाईं ओर गोली चला दी, जिसके बाद आरोपी सुनील सिंह ने मृतक नवल किशोर चौधरी के बाएं कान में गोली चला दी।अभियुक्त राम बाबू सिंह ने उक्त मृतक की बाईं कमर के ऊपर पिस्तौल से गोली चलाई।इस बीच, आरोपी राम सूरत चौधरी ने भी अपनी पिस्तौल से पीछे से गोली चलाई जिससे नवल किशोर चौधरी के कूल्हे पर चोट लग गई।अभियुक्त बसवन सिंह ने खंजर से वार किया जिससे उक्त मृतक की कमर के नीचे चोट लग गई।अभियुक्त व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के बाद कि उक्त मृतक मर चुका है, वे घटना स्थल से भाग गए।

15. पीडब्लू 8 के करीब पीडब्लू 2, पीडब्लू 5 और पीडब्लू 7 के साक्ष्य हैं।

16. पीडब्लू 2, पीडब्लू 5, पीडब्लू 7 और पीडब्लू 8 की जिरह से बचाव पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं निकाला जा सका कि इन गवाहों ने जो बयान दिया था वह असत्य या झूठा था।इसलिए, पीडब्लू 2, पीडब्लू 5, पीडब्लू 7 और पीडब्लू 8 के साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा द्वारा हिलाया नहीं जा सकता है।इस प्रकार, उनके साक्ष्य पूरी तरह से अक्षुण्ण रहे।"

12. यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय की खंड पीठ ने घटना के चश्मदीद गवाह पी. डब्ल्यू. संख्या 2 से 8 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की है।इस न्यायालय की खंड पीठ ने पैरा/कंडिका 10 में कहा है कि पी. डब्ल्यू. 5 और पी. डब्ल्यू. 6 को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है और पी. डब्ल्यू. 3 की मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है और इसलिए उनसे जिरह नहीं की जा सकती है।

13. इस स्तर पर, यह ध्यान देना उचित है कि इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष को अपीलार्थियों/दोषियों द्वारा उच्चतर मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए, वर्तमान अपीलों में, हम उपरोक्त गवाहों के बयान की सामग्री को दोहरा नहीं रहे हैं।

14. इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय की खंड पीठ ने मामले को बहुत सीमित उद्देश्य के लिए परीक्षण न्यायालय को वापस भेज दिया है, यानी परीक्षण न्यायालय को डॉक्टर और संबंधित जांच अधिकारी की गवाह के रूप में उपस्थिति प्राप्त करने के निर्देश के साथ और कानून के अनुसार उनकी जांच करने और उसके बाद गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने का निर्देश भी दिया गया था।

15. इस प्रकार, वर्तमान अपीलों में, हमें उन घटनाक्रमों पर विचार करना होगा जो इस न्यायालय द्वारा मामले को विद्वत विचारण न्यायालय में वापस भेजे जाने के बाद हुए हैं।

16. इसके बाद, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत के समक्ष पी. डब्ल्यू. संख्या 14,15 और 16 की जांच की थी और अब एक बार फिर निचली अदालत ने वर्तमान अपीलों में आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है, जिनके खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई हैं।

17. जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस न्यायालय द्वारा दी गई निर्देश के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने अब पी. डब्ल्यू. संख्या 14,15 और 16 की जांच की है।पी. डब्ल्यू. 14 डॉ. विनीता कुमारी ने जाँच-इन-चीफ में कहा है कि 10.10.1986 को पर उनके पिता सदर अस्पताल, हाजीपुर में तैनात थे।वर्ष 1988 में उनकी मृत्यु हो गई।वह इस

तथ्य के बारे में नहीं जानती थी कि उसके पिता ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, प्रदर्श-4 लिखी है या नहीं।वह अपने पिता के हस्ताक्षर को पहचान नहीं सकी।

18. पीडब्लू 15 अशोक कुमार ने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उन्हें 1986 में सदर अस्पताल, हाजीपुर में तैनात किया गया था।उन्होंने आगे बयान दिया है कि 1986 के मुजफ्फरपुर रेल थाना केस संख्या 78 के मृतक नवल किशोर चौधरी का पोस्टमार्टम डॉक्टर एस. कुमार द्वारा किया गया था।उक्त गवाह ने उक्त डॉक्टर के हस्ताक्षर और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-4) की पहचान की है।हालांकि, जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने कहा है कि वह रेफरल अस्पताल में एक्स-रे तकनीशियन के रूप में काम कर रहा था और उसे पता नहीं था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है।

19. पी. डब्ल्यू. 16 भुपेश कुमार सिंह ने जाँच-इन-चीफ में कहा है कि उन्हें भगवानपुर पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया था। 8:30 (पी एम) को शत्रुधन चौधरी के फरदबेयान को सरकारी डॉक्टर एस. के. जैसवाल के औषधालय में शाम को दर्ज किया गया। उक्त फरदबेयानरामपुजन सिंह की लिखावट में दर्ज किया गया । फरदबेयान को सत्य नारायण मंडल ने रिकॉर्ड/दर्ज किया था। इस गवाह ने इस तथ्य के बारे में भी कहा है कि मृतक की जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी और कार्बन कॉपी भी प्राप्त की गई थी।उन्होंने आगे कहा है कि जांच रिपोर्ट की कार्बन कॉपी में कॉलम-6,8 और 9 उनकी लिखावट में लिखे गए हैं।उन्होंने आगे कहा है कि उक्त जाँच रिपोर्ट में 'भगवानपुर' को 'मुज़फ़्फ़रपुर रेल पी. एस.'/थाना के माध्यम से दर्ज किया गया था और उसके स्थान पर 'मुज़फ़्फ़रपुर रेल पी. एस.' लिखा गया था और उक्त लिखावट उक्त गवाह या सत्य नारायण मंडल की नहीं है।उन्होंने आगे कहा है कि केस डायरी, पैरा-9 भी जांच रिपोर्ट की एक कार्बन कॉपी है और कार्बन कॉपी पर भी उनके हस्ताक्षर थे। उक्त प्रति में भी कॉलम 1 में 'भगवानपुर' को अंक दिए गए हैं और उसके स्थान पर

'मुजफ्फरपुर रेल पी. एस.' रखा गया है।उक्त कार्बन कॉपी, कॉलम 6 उनके द्वारा लिखा गया था।उन्होंने आगे कहा है कि हालांकि दोनों कार्बन प्रतियां हैं, लेकिन सामग्री अलग-अलग हैं और जिन्होंने वही लिखा है, उन्हें पता नहीं है।

19.1 जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने कहा है कि जाँच रिपोर्ट तीन प्रतियों में तैयार की गई थी।दो कार्बन प्रतियाँ और एक फोटो प्रतियाँ थीं।एक बार फिर उन्होंने स्वीकार किया है कि एक कार्बन कॉपी में कॉलम-9 उनके द्वारा लिखा गया था। हालाँकि, अन्य कॉलम उनके द्वारा नहीं लिखे गए थे।कॉलम-6 भी उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। उन्हें इस तथ्य कॉलम संख्या 6,7,9 और 8 किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं।दस्तावेज़ में, 1986 का भगवानपुर थाना केस संख्या.101 भी प्रदर्शित किया गया है।उसने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि दोनों जांच रिपोर्ट उसकी लिखावट में हैं।हालाँकि, उक्त रिपोर्टों में स्पष्ट विसंगतियाँ हैं।उन्होंने पैरा-34 में आगे स्वीकार किया है कि दोनों जांच रिपोर्टों में गवाहों के नाम इसके विपरीत स्थानांतरित किए गए हैं।उन्होंने यह भी कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 1986 के थाना केस मामला संख्या 101 का संदर्भ था।

20. उपरोक्त के आधार पर, मामले को विद्वत निचली अदालत में वापस भेजे जाने के बाद अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में आगे के साक्ष्य के आधार पर, निचली अदालत ने आक्षेपित फैसले के पैरा-54 में यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से, 1986 के भगवानपुर थाना मामले के एफ. आई. आर. को रिकॉर्ड/अभिलेख पर नहीं लाया गया है।यह भी देखा गया है कि सी. जे. एम.,/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भगवानपुर थाना केस 1986 के वैशाली के जी. आर. रजिस्टर की प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड/ अभिलेख में लाई गई है, जिससे पता चलता है कि मामला धारा-448,341,325,323 के साथ पठित 34 आई. पी. सी. के तहत दर्ज किया गया है और सूचना देने वाला नकुल

प्रसाद साही है और आरोपी भी अलग हैं।विद्वत विचारण न्यायालय ने आगे कहा है कि पी. डब्ल्यू. 16 ठीक से स्पष्ट नहीं कर सका कि जब्ती सूची 101 में कैसे है।1986 उनके द्वारा लिखा गया है और जिन्होंने भगवानपुर और 1986 के केस No.101 को जांच रिपोर्ट से हटा दिया है।अतः पी. डब्ल्यू. 16 के साक्ष्य में विसंगति है।यह भी कहा गया कि 1986 के भगवानपुर थाना मामले के एफ. आई. आर. को साबित करना अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा इसे पेश नहीं किया गया है।इसके अलावा, फैसले के पैरा-55 में, ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1986 का भगवानपुर थाना केस संख्या 101 में विभिन्न स्थानों पर क्यों लिखा गया है।इसके अलावा, यह देखा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जाँच रिपोर्ट में अंतर है।उपरोक्त को दर्ज करने के बाद, निचली अदालत ने कुछ पहलुओं पर विचार किया है।हमारा विचार है कि इस तरह की धारणा स्वीकार्य नहीं है।

21. हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों और विशेष रूप से उन गवाहों के साक्ष्य की भी फिर से सराहना की है, जिनसे मामले को विद्वत निचली अदालत में वापस भेजे जाने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई है।हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की सामग्री को साबित प्रस्तुत में विफल रहा है और न्यायालय के समक्ष 1986 के भगवानपुर थाना मामले की प्रति प्रस्तुत प्रस्तुत में भी विफल रहा है।पी. डब्ल्यू. 16 ने अपने बयान के दौरान कुछ पहलुओं को स्वीकार किया है कि दो कार्बन प्रतियों में जांच रिपोर्ट की सामग्री अलग-अलग हैं, हालांकि उन्होंने दोनों जांच रिपोर्टों पर हस्ताक्षर किए हैं।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि दो कार्बन प्रतियों और फोटो प्रतियों के साथ-साथ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में, शुरू में 1986 के भगवानपुर थाना मामले संख्या 101 के संबंध में एक संदर्भ था।हालाँकि, इसे 1986 के मुज़फ़्फ़रपुर रेल थाना केस No.78 के माध्यम से प्राप्त किया गया है और प्रतिस्थापित किया गया है।

उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि यह किसने लिखा है।स्कोरिंग और ओवरराइटिंग के समय कोई प्रारंभिक नहीं किया जाता है।यह विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं/दोषियों का विशिष्ट बचाव है कि शुरू में फरदबेयान को राज्य औषधालय, भगवानपुर में 20:30 बजे 09.10.1986 पर दर्ज किया गया थाः30 घंटे।उसी के आधार पर, 1986 का भगवानपुर थाना मामला संख्या 101 दर्ज किया गया था।इसलिए, जाँच अधिकारी ने जाँच शुरू कर दी है और जाँच रिपोर्ट तैयार की है और शव को पोस्टमॉर्टम करने के उद्देश्य से भेजा गया था और इसलिए, उपरोक्त दस्तावेजों में, 1986 के भगवानपुर थाना मामले का संदर्भ था।हालाँकि, उसके बाद अगले दिन 11:00 (ए.एम) बजे औपचारिक एफ. आई. आर. दर्ज किया गया मुज़फ़्फ़रपुर रेल पुलिस स्टेशन से पहले, जिसे 1986 के मुज़फ़्फ़रपुर रेल थाना केस संख्या 78 के रूप में दर्ज किया गया था और इसलिए, 1986 के भगवानपुर थाना केस संख्या 101 वाले मूल एफ.आई.आर. की सामग्री अलग थी। इसलिए, वही जिसे अभिलेख पर लाया गया।बचाव पक्ष का यह भी मामला है कि मुजफ्फरपुर रेल पुलिस थाने में पंजीकृत औपचारिक एफ. आई. आर. के साथ, सूचना देने वाले का फरदबेयान संलग्न किया गया था जिसमें सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के क्लिनिक में सूचना देने वाले द्वारा फरदबेयान देने के संबंध में एक संदर्भ है न कि राज्य औषधालय, भगवानपुर में।

22. इस स्तर पर, हम यह भी नोट/उल्लेख कर सकते हैं कि मामले को विद्वत विचारण न्यायालय को वापस भेजते समय, इस न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांकित 16.05.2014 रिमांड के आदेश के पैरा-50 में कहा है कि वर्ष 1986 की भगवानपुर थाना केस संख्या 101 की एफ. आई. आर. की प्रति रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है।

23. मामला वापस भेजे जाने के बाद भी, जैसा कि ऊपर देखा गया है, 1986 के भगवानपुर थाना मामले संख्या 101 की एफ. आई. आर. की प्रति रिकॉर्ड/अभिलेख में

नहीं लाई गई है और इसलिए, यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने इसे दबा दिया है।अन्यथा भी, पी. डब्ल्यू. 16 ने विशेष रूप से एक ही जांच रिपोर्ट की दो कार्बन प्रतियों में विसंगतियों के बारे में स्वीकार किया है।जैसा कि विद्वान ए. पी. पी. ने तर्क दिया है, इसे जांच एजेंसी द्वारा केवल कमी या दोषपूर्ण जांच नहीं कहा जा सकता है।

24. यह कहने के लिए पर्याप्त है कि हालांकि इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अभियोजन पक्ष को मौका दिया गया था, 1986 के भगवानपुर थाना मामल संख्या 101 की एफ. आई. आर. की अभिलेख प्रति लाने की दृष्टि से साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की सामग्री को साबित करने की दृष्टि से, अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में विफल रहा है।इस प्रकार, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों/दोषियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, अपीलार्थियों/दोषियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किए जाने की आवश्यकता है।

25. 1987 के सत्र विचारण सं. 242 (1986 के मुजफ्फरपुर रेल थाना प्रकरण सं. 78 से उत्पन्न) के संबंध में हाजीपुर में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-VII, वैशाली द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश रद्द और दरकिनार दिया गया है। अपीलार्थी राम बाबू सिंह, रंजीत चौधरी उर्फ रंजीत चौधरी, उदय कुमार सिंह उर्फ उदय सिंह, संजय कुमार सिंह उर्फ संजय सिंह, सच्चिदानंद सिंह, कामेश्वर सिंह और सुनील कुमार सिंह को विचारण अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है।

26. अपीलकर्ताओं में राम बाबू सिंह, रंजीत चौधरी उर्फ रंजीत चौधरी, उदय कुमार सिंह उर्फ उदय सिंह, संजय कुमार सिंह उर्फ संजय सिंह, सच्चिदानंद सिंह और सुनील

कुमार सिंह जमानत पर हैं, उन्हें उनके जमानत-बांड की देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है। चूंकि अपीलार्थी नामतः, में कामेश्वर सिंह। 2015 की अपील (डी. बी.) संख्या 24 में जेल में है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

27. तदनुसार, सभी अपीलों को अनुमति दी जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायमूर्ति)

के.सी. झा /-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।